

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार।
आरोपी कल्ला उर्फ कल्यान पूर्व से अनुपस्थित।
प्रकरण आरोपी कल्ला उर्फ कल्यान की उपस्थिति हेतु
नियत है।

आरोपी कल्ला उर्फ कल्यान की उपस्थिति के लिए
जारी गिरफ्तारी वारंट तश्दीक पंचनामा सहित अदम् तामील
इस टीप के साथ वापस प्राप्त कि “घर जाकर तलाश किया,
नहीं मिला”।

वारंट के साथ पंचनामा इस आशय का प्राप्त कि साक्षी
कल्लू एवं शिवराज के समक्ष आरोपी कल्ला उर्फ कल्यान की
ग्राम अतरसोहा, थाना-मौ में उसके घर पर तलाश किये जाने
पर नहीं मिला। अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है
कि आरोपी कल्ला उर्फ कल्यान दिनांक : 12/04/2016 से
प्रकरण में अकारण अनुपस्थित है। उपरोक्त टीप से यह दर्शित
होता है कि आरोपी कल्ला उर्फ कल्यान अपनी उपस्थिति
छुपाने के लिए फरार हो गया है और उनके निकट भविष्य में
मिलने की कोई संभावना नहीं है। ऐसी दशा में प्रकरण में
आरोपी कल्ला उर्फ कल्यान की उपस्थिति सुनिश्चित करने के
लिए स्थाई वारंट जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः आरोपी कल्ला उर्फ कल्यान की उपस्थिति के
स्थायी वारंट जारी किया जाये।

प्रकरण आरोपी कल्ला उर्फ कल्यान के उपस्थित होने
तक अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर प्रकरण
व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया
जाये।

अभिलेख पर लाल स्याही से यह टीप अंकित कि जाये
कि प्रकरण में आरोपी कल्ला उर्फ कल्यान फरार है, इसलिए
अभिलेख सुरक्षित रखा जाये।